जनपद वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जनउपयोगी विभागीय योजनाओं का विवरण

1	योजना का नाम	लोहिया ग्रामीण आवास योजना
2	सम्बन्धित विभाग का नाम	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
3	कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम	परियोजना निदेशक
4	कार्यालय का पता	विकास भवन प्रथम तल मुजफ्फरनगर।
5	कार्यालय दूरभाष	01312621246
6	योजना के आरम्भ होने की तिथि	फरवरी 2013
7	योजना के समाप्ति की तिथी	——
8	योजना का प्रकार	राज्य
9	योजना का संक्षिप्त विवरण	प्रदेश के ग्रामीण अनुसूचित जाति/जनजाति तथा सामान्य वर्ग के परिवार (अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुये), जो गरीब है व आवासहीन हैऔर बी0पी0एल0 सर्वे–2002 की सूची में उनका नाम सूचीबद्ध न होने के कारण वे इन्दिरा आवास योजना के अधीन आवासीय सुविधा से वंचित हैं तथा जिनकी वार्षिक आय रू0 36000/– से कम है, को इस योजना अन्तर्गत आवास सुविधा मुहैया करायी जायेगी। **योजना का उददेश्य**–इस योजना का उददेश्य प्रदेश के ग्रामीण अनु0जाति/जनजाति एवं सामान्य जाति (अन्य पिछडे वर्ग को सम्मिलित करते हुए) के ऐसे ग्रामीण परिवारों को निशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाना है,जो आवास विहीन है व जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू0 36000 से कम है,तथा 2002 में तैयार की गयी बी0 पी0 एल0 सूची में उनका नाम न होने के कारण व इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत पात्रता श्रेणी में नहीं आते है। **योजना के महत्वपूर्ण बिन्दू**– (1)–लोहिया ग्रामीण आवास योजना शत प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित पोषित है।आवासों का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम होगा। यदि परिवार मे महिला अर्थात पत्नी का देहान्त हो गया हो तो आवास विधुर पति को भी आवंटित किये जाने की छूट होगी। योजनान्तर्गत लक्षित वर्ग को लाभान्वित करने की पात्रता का विस्तृत उल्लेख शासनादेश 107 दिनांक 20.02.2013 के प्रस्तर–8 में है।तदनुसार लाथार्थियो के चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। (2)–आवास के साथ स्वच्छ शौचालय निर्माण हेतु अनिवार्य रूप से जिला स्तर पर पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित निर्मल भारत अभियान से डवटेल कर निधियां प्राप्त की जाएगी। (3)–इस योजना के अधीन निर्मित होने वाले प्रत्येंक

		आवास के लिये रू0 दो लाख पैतालिस हजार के अनुदान की अतिरिक्त रू0 30000/-की सीमा तक सोलर लाईट के लिये अलग से शासकीय सहायता अनुमन्य की जाएगी। सोलर लाइट का सम्पूर्ण कार्य वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के माध्यम से नेडा द्वारा पूर्ण कराया जायेगा। (4)–नेडा द्वारा प्रत्येक इकाई में प्रदान की जाने वाली सुविधा व टेक्निकल स्पेशिफिकेशन्स नियमानुसार निर्धारित कराकर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानकों के अनुसार निाविदा आमन्त्रित कर दरें निर्धारित की जाएगी। (5)–सोलर लाइट का नियमित रख रखाव एवं देखरेख के लिये 05 साल की वारण्टी/कम्प्रहेन्सिव ऐनुअल मेन्टेनेन्स कान्ट्रेक्ट का भी नेडा द्वारा निविदा में ही प्राविधान कर व्यवस्था बनायी जायेगी। (6)–सोलर लाइट के सुचारू रूप से कियाशील रहने में कोई कठिहनाई न हो एवं लाभार्थियों की सुविधा के उददेश्य से नेडा द्वारा काल सेण्टर स्थापित कर कठिनाइयों का तत्काल समाधान कराया जायेगा। (7)–आवास का निर्माण संलग्न मानचित्र के अनुसार किया जायेगा। आवंटित आवास का मानक के अनुसार ही न्यूनतम आच्छादन क्षेत्रफल 28.30 वर्ग मीटर रहेगा। इस हेतु विकास खण्ड स्तर पर तकनीकी कार्मिक द्वारा प्रत्येंक लाभार्थी की भूमि पर ले आउट बनाया जायेगा। घर के आन्तरिक ले आउट यथा कमरो के आकार आदि में लाभार्थी की इच्छानुसार परिवर्तन अनुमन्य किया जा सकेगा,किन्तु दो कमरें अवश्य बनाये जायेंगे। (8)–प्रत्येंक निर्मित आवास के मुख्य द्वार के पार्श्व में दीवार पर शिलापटट/टाइल लगायी जायेगी जिस पर योजना का नाम,लाभार्थी का नाम एवं निर्माण वर्ष अंकित होगा साथ ही प्रत्येंक निर्मित आवास की पुतायी सफेद रंग से की जायेगी,जिसके किनारों की पुताई लाल रंग से होगी तथा इसके लिये अन्य कोई धनराशि अलग से देय नहीं होगी। **प्रति आवास इकाई लागत**– योजनान्तर्गत प्रति आवास आच्छादन क्षेत्रफल (कवरेज एरिया) न्यूनतम 28.30 वर्गमीटर में होगा और दो कमरे कम से कम निर्मित किये जायेगे। प्रति आवास की लागत रू0 275000/– होगी जिसमें सोलर लाईट हेतु 30000/–रू0 की धनराशि शासन द्वारा निर्धारित संस्था को सोलर पावर पैक की स्थापना हेतु निर्गत की जायेगी।लाभार्थी के बैंक खाते में आवास की लागत दो किश्तों में कुल रु0 245000/–हस्तान्तरित की जायेगी।

10	योजना के लिये निर्धारित अर्हता	**योजना / पात्रता**– प्रदेश के ग्रामीण अनुसूचित जाति / जनजाति तथा सामान्य वर्ग के परिवार (अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुये), जो गरीब है व आवासहीन हैऔर बी0पी0एल0 सर्वे–2002 की सूची में उनका नाम सूचीबद्ध न होने के कारण वे इन्दिरा आवास योजना के अधीन आवासीय सुविधा से वंचित हैं तथा जिनकी वार्षिक आय रु0 36000 / – से कम है, को इस योजना अन्तर्गत आवास सुविधा मुहैया करायी जायेगी।
11	योजना किस वर्ग विशेष के लिये है	सामान्य जन हेतु
12	योजना आवेदन करने की प्रक्रिया	विकास खण्ड द्वारा पात्र व्यक्तियों को चिन्हित किया जाता है तदुपरान्त त्रिस्तरीय समिति के सत्यापन उपरान्त लाभाथियों की सूची को अन्तिम रुप दिया जाता है
13	आवेदन पत्र प्राप्त करने का स्थान	विकास खण्ड कार्यालय
14	आवेदनपत्र / फार्म शुल्क	निशुल्क
15	आवेदनपत्र / फार्म के साथ लगने वाले आवश्यक संलग्नको का विवरण	बैक पासबुक, आय प्रमारण पत्र,आवश्यक भूमि का स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्र आदि
16	यदि आवेदन आनलाईन है तो वेबसाईट का एड्रेस	नहीं।
17	योजना के सम्बन्ध में दूरभाष पर जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम मोबाईल नम्बर सहित	परियोजना निदेशक,जिला ग्राम्य विकास अभिकरण मुजफ्फरनगर। मो0नं0 9454465194
18	योजना के सम्बन्ध में जानकारी / शिकायत करने के सम्बंन्ध में विभाग का दूरभाष / टोल फ्री नम्बर / ई–मेल	drda-muz@nic.in
19	विभाग की वेबसाईट का एड्रेस	http://iay.nic.in